

**न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

दांडिक प्रकरण कं.-683 / 14
संस्थापित दिनांक-19.11.2014
Filling no- 235103005202014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- खिलन सिंह पुत्र रामलाल अहिरवार उम्र 29 साल निवासी:- ग्राम देसाईखेडा थाना पिपरई
.....अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 29.08.2017 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 456, 294, 324 506 भाग दो भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 05.10.2014 को ग्राम देसाईखेडा थाना पिपरई में रात 8:30 बजे फरियादी मलखान का घर जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृह-अतिचार कारित किया एवं फरियादी मलखान को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालों क्षोभ कारित किया एवं फरियादी मलखान की घातक आयुध लुहांगी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी मलखान को जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी एवं अभियुक्त के मध्य दिनांक **29.08.2017** को राजीनामा हो जाने से आरोपी खिलन को भा.द.वि की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी ने थाना पिपरई में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 05.10.2014 को रात 8:30 बजे फरियादी अपने खेत से पानी देकर वापस घर आ रहा था तो गाँव का खिलन अहिरवार उसके घर के अन्दर उसकी पत्नी रूपवती से चैंट रहा था। आरोपी घर पर पूर्व में भी कई बार आता जाता रहा है, जब फरियादी ने खिलन से कहा कि उसके घर क्यों आता जाता है तो खिलन ने कहा तुझे क्या लेना देना है वह तो पहले से ही आता जाता रहता है। खिलन उसे बुरी-बुरी मां बहन की गालियां देने लगा, उसने गाली देने से

मना किया तो खिलन ने उसके घर पर पड़ी लुहांगी मारी जो फरियादी मलखान के सिर में पीछे लगी चोट होकर खून निकल आया, दुसरी लुहांगी मारी उसके बायं पैर में लगी चोट होकर खून निकल आया एवं टकना में मुंदी चोट आयी, चोट लगने से वह गिर पडा जिससे उसके मुंह एवं दांये हाथ के दडा में मुंदी चोट आई। घटना के समय मौके पर विक्की व सोनू मौजूद थे जिन्होंने उसे बचाया। जाते जाते आरोपी बोल रहा था कि आज तो बच गया आइन्दा नहीं बचेगा। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.10.2014 को ग्राम देसाईखेडा थाना पिपरई में रात 8:30 बजे फरियादी मलखान का घर जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृह—अतिचार कारित किया ?
2.	क्या उक्त घटना समय स्थान पर फरियादी मलखान की घातक आयुध लुहांगी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— विचारणीय प्रश्न क्र० 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी मलखान अ०सा०१ ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानता है, जो उसका रिश्ते में भाई लगता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 3 साल पहले की होकर शाम 7—8 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपने खेत से काम करके अपने घर पर पहुँचा तो घर के बाहर उसे आरोपी खिलन सिंह मिला, उससे पूछा कि यहां क्या कर रहे हो तो आरोपी ने कुछ नहीं कहा और उसके साथ वाद विवाद व गाली गलौच करने लगा, मलखान ने गाली देने से मना किया तो आरोपी के साथ झुमा झटकी में उसे मामूली चोट आ गई थी, जिसके संबंध में उसने थाना पिपरई में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों का अस्पताल में इलाज कराया था और पूछताछ कर मेरे बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी उसके घर के अन्दर था। इस बात से इंकार किया कि आरोपी खिलन ने उसके घर पर पड़ी लोहांगी उठाकर उसे मारी, जो उसके सिर के पीछे लगी। इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने दूसरी लोहांगी उसके बाएं पैर के दंडा में लगी। इस बात से इंकार किया कि दायाे हाथ के दंडा में, मुंह में चोट आई थी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि खिलन के साथ उसकी बातचीत घर के बाहर हुई थी, खिलन घर के अन्दर नहीं था। बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि झुमा झटकी में स्वयं पत्थर पर गिर जाने से चोटे आ गई थी। इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की।

08— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी श्रीमति रूपवती बाई अ0सा02 एवं सोनू अ0सा03 जोकि प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी है उन्होंने भी अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी रूपवती अ0सा02 एवं सोनू अ0सा03 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया, इसके विपरीत अभियोजन साक्षी मलखान सिंह अ0सा01, रूपवती अ0सा02 एवं सोनू अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि घटना घर के बाहर की है तथा आरोपी से मलखान की झुमा झटकी हुई थी, जिसमें मलखान को चोटे आई थी। उक्त साक्षीगण का कहना है कि इसके अलावा आरोपी खिलन ने मलखान के साथ लोहांगी से कोई मारपीट नहीं की।

09— अतः अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 05.10.2014 को ग्राम देसाईखेडा थाना पिपरई में रात 8:30 बजे फरियादी मलखान का घर जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृह—अतिचार कारित किया तथा फरियादी मलखान की द्वाातक आयुद्ध लुहांगी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः आरोपी खिलन सिंह के विरुद्ध धारा 456, 324 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11— प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

12— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0